Global Journal of Multidisciplinary Studies Available online at www.gjms.co.in
Volume 2, Issue2, January 2014
ISSN: - 2348-0459

दलित महिलाओं पर अत्याचार

जितेन्द्र कुमार चौधरी समाजशास्त्र एवं समाजकार्य विभाग

रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय,

जबलपुर (म. प्र.)

संक्षिप्त

दलित एक विशुद्ध भारतीय अवधारणा है, जिसका प्रयोग संवैधानिक रूप से परिभाषित अनुसूचित जातियों और जनजातियों के उस समूह से लिया जाता है, जो तथाकथित रूप से उपेक्षा, शोषण और उत्पीड़न का शिकार हुआ है। आजकल 'दलित' शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिये किया जा रहा है जिन्हें अमानवीय व्यवहार, अन्याय, भेदभाव, सामाजिक निर्योग्यताओं, सामाजिक प्रताड़ना, राजनीतिक एवं आर्थिक वंचनाओं और असुविधाओं के लम्बे दौर से गुजरना पड़ा है।'दलित वर्ग' शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1920–30 के आस–पास हुआ, किंतु 1973 के बाद यह एक जनसामान्य शब्द बन गया।[1] यह अत्यंत चिंताजनक विषय है, हमारे देश में स्त्री जाति का संबंध समाज के एक ऐसे वर्ग या समुदाय से है। जिसकी दशा, उनके सामाजिक कुरीतियों एवं अवरोधों के कारण अत्याधिक दयनीय बन चुकी है। बहुधा स्त्रियों को पुरूषों द्वारा कारित किये जाने वाले अत्याचारों का शिकार होना पड़ता है।[3]

खोज शब्द – दलित ,उपेक्षा , जनसामान्य

महिलाओं का उत्पीड़न–

महिलाओं के विरूद्ध हिंसा की समस्या कोई नई नहीं है। भारतीय समाज में महिलाएं एक लम्बे काल से अवमानना यातना और शोषण का शिकार रही है। जितने काल से हमारे पास सामाजिक संगठन और पारिवारिक जीवन के लिखित प्रमाण उपलब्ध है।[4] जिसमें एक निम्न जाति की महिला को दोहरे शोषण और अत्याचार का शिकार होना पड़ता है। वह अपने दलित परिवार में दलित होती है, और उच्चजातियों के पुरूषों द्वारा भी बलात्कार, शीलभंग, अपहरण, शोषण आदि घटनाओं की भी शिकार होती है। उन्हें दोहरा अत्याचार सहना पड़ता है। दलित परिवारों की दीन हीन दलिद्रता पूर्ण स्थितियों के परिणाम स्वरूप दलित जातियों की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति निम्न होती है तथा जिनकी महिलाओं को अधिकांशतः भरण पोषण हेतु श्रम करना पड़ता है। यह अधिकांशतः उच्च जातियों द्वारा शोषण का शिकार होती है, क्योंकि इनमें अपनी रक्षा करने तथा न्यायालय आदि में मुकदमा करने हेतु इनकी स्थिति अच्छी नहीं होती, वहीं दंबग जातियों के दबाव के कारण तथा अपने परिवार के सदस्यों पर अत्याचार होने के भय से यह अत्याचार को सहन कर लेती है।

अत्याचार–

मोटे तौर पर अत्याचार से आशय सभी प्रकार के शोषण और उत्पीड़न से है, जो गैर दलितों द्वारा गरीब, कमजोर और अपनी रक्षा करने में असमर्थ दलित जातियों के लोगों के ऊपर ढाए जाते है। सामान्यतः अत्याचार की श्रेणी में हत्या, बलात्कार, सीलभंग, अपहरण, बलवा आगजनी तथा हिंसा संबंधी अधिक गंभीर किस्म के अपराध शामिल किए जाते हैं, जिससे पीड़ित व्यक्ति को गम्भीर किस्म की शारीरिक क्षति अथवा हानि उठानी पड़ती है। अत्याचार

बहुत समय से विशेष चिह्नित वर्गो एवं समुदायों के प्रति की गई सुनियोजित हिंसा भारतीय समाज का विशिष्ट लक्षण रहा है। जातिगत हिंसा के निशाने पर बहुधा वहीं लोग होते है जो हिन्दु सामाजिक व्यवस्था के सोपान में सबसे निचले क्रम पर आते है जो अनुसूचित जातियों अथवा दलितों के नाम से जाने जाते है। जिसमें दलित महिला दोहरे शोषण और अत्याचार का शिकार होती है, जिसकी स्थिति पूर्वकाल से लेकर वर्तमान समय में दलितों के दलित की है।[2]

प्रस्तुत आलेख के अंतर्गत यह प्रदर्शित करने का प्रयास किया गया है कि दलित जाति की महिलाओं पर होने वाला अत्याचार और शोषण की दर सामान्य प्रकृति के अत्याचारों की तुलना में जातियों के

निवारण अधिनियम (1989) के तहत् अत्याचार के अंतर्गत अनुसूचित जातियों के विरूद्ध गैर अनुसूचित जातियों द्वारा अस्पृश्यता के भेदभाव सहित किये गये सत्ताइस प्रकार के अपराधों को सम्मिलित किया गया है। मौटे–तौर पर अनुसूचित जातियों के विरूद्ध गैर अनुसूचित जातियों द्वारा किये गये वे सभी अपराध जो जिला अनुसूचित जाति कल्याण प्रकोष्ठ में भारतीय दण्ड संहिता, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम (1955) तथा अत्याचार निवारण अधिनियम (1989) के अंतर्गत पंजीबद्ध किये गये है, अत्याचार की श्रेणी में आते है।

अत्याचारों की प्रकृतिः–

अत्याचार की प्रकृति बाध्यता मूलक होती है, चाहे उसका स्वरूप भेदभाव जनित हो, शोषण मूलक हो अथवा उत्पीड़नात्मक। इसमें दबे या खुले रूप में शक्ति का प्रयोग किया जाता है। अत्याचारी वर्ग की समाज में स्थिति अच्छी होती है। सामान्यतः अत्याचार शक्तिशाली वर्ग द्वारा अपने हितों पर चोट पहुँचाने वालों को दबाने के लिए किए जाते हैं। दबाव की मात्रा, प्रकृति एवं स्वरूप में समय, स्थान एवं सन्दर्भ (अत्याचार व पीड़ित व्यक्ति अथवा समूहों की संख्या, शक्ति तथा स्थानीय पुलिस एवं प्रशासन की तत्परता व कार्य क्षमता) के अनुसार भिन्नता हो सकती है। (देखिए रिर्पोट 1981: 345–60)। इस प्रकार अत्याचार में उच्च व शक्ति सम्पन्न वर्गो द्वारा समाज के आर्थिक व सामाजिक दृष्टि से कमजोर वर्गो जो अपनी सुरक्षा करने में अशक्त होते है विरूद्ध किए गए अपराधों को शामिल किया जाता है।

दलितों पर अत्याचारों की सूची बहुत लम्बी है और अत्याचारों के स्वरूप अनेक है, विस्तृत अर्थ में अत्याचार से यहाँ आशय सभी प्रकार के अन्याय, शोषण, पीड़ा एवं त्रास से है, जो समाज में कमजोर वर्गो जो अपनी रक्षा करने में असमर्थ होते है, पर ढ़ाए जाते है। इनमें– निन्दा, गाली, धमकी तथा सामाजिक बहिष्कार से भूमि पर कब्जा न देना, तथा शारीरिक क्षति पहुँचाना जैसे मारना आदि शामिल है। किंतु विश्लेषण में सहूलियत की दृष्टि से सरकारी अभिलेखों में दलितों के विरूद्ध साधारण प्रकृति के अपराधों को अस्पृश्यता व अन्य अपराधों की श्रेणी में रखा जाता है। अत्याचार की श्रेणी में केवल हत्या, बलात्कार, आगजनी, दंगा तथा हिंसा जैसे गम्भीर अपराधों को ही शामिल किया जाता है।[5]

अत्याचार की शिकार दलित महिलाएँ –

यदि हम महिलाओं के विरूद्ध अत्याचार के सभी प्रकरणों को एक साथ ले तो हम पायेंगे कि अत्याचार से साधारणतया शिकार वे महिलायें होती है –

- जो असहाय एवं अवसादग्रस्त होती है, जो आत्मावमूल्यन से ग्रसित होती है या वे जो अपराधकर्ता द्वारा किये गये अत्याचार के फलस्वरूप भावनात्मक रूप से समाप्त हो चुकी है, यो वे जो परार्थवादी विवशता से ग्रस्त है।
- जिनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति अत्यंत निम्न होती है जिनमें विरोध करने का सामर्थ्य नही होता तथा जिनके परिवार के सदस्य सदैव भय के वातावरण में रहते है।
- जो उच्च जातियों की शक्ति एवं उनके प्रभाव के कारण परिवार के अन्य सदस्यों पर अत्याचार होने के भय के कारण अत्याचार का शिकार होती रहती है।
- जिनमें सामाजिक परिपक्वता की सामाजिक या असामाजिक अन्तरवैयक्तिक प्रवीणताओं की कमी है।
- जिनके पति/ससुराल/परिवार वालों का विकृत व्यक्तित्व है।
- जिनके परिवार में अत्याधिक मदिरापान किया जाता है।
- जो दबावपूर्ण पारिवारिक स्थितियों में रहती है या ऐसे परिवारों में रहती है जिन्हे समाजशास्त्रीय शब्दावली में सामान्य परिवार नही कहा जा सकता।
- जिन्हे जीवनयापन हेतु दूसरों के घरो, कारखानो, खेतो आदि में श्रम करना पड़ता है।

दलित महिलाओं पर अत्याचार के कारण –

- दलित जातियों के प्रति हीनता की भावना।
- महिला एवं महिला के परिवार के प्रति शत्रुता की भावना।
- परिस्थितिवश प्रेरणा।
- दलित महिलाओं की पारिवारिक, आर्थिक, सामाजिक दशा निम्न होने के परिणामस्वरूप उनमें विरोध की शक्ति न होने के कारण।[6]

पूर्व अध्ययन की समीक्षाः–

1. रामकुमारी पंचांम (1955) ''मध्यप्रदेश में दलित महिला अतीत और भविष्य'' मध्य प्रदेश के संदर्भ में स्वतत्रंता प्राप्ति से पूर्व हुए अत्याचार एवं वर्तमान समय में स्वतंत्रता के पश्चात् संविधान निर्माण के बाद हो रहे अत्याचार, बलात्कार, यौन उत्पीड़न, मारपीट आदि घटनाओं को प्रस्तुत किया।

2. सुनील डाओने (2004) ''नारी उत्पीड़न'' अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विशेष संदर्भ में अध्ययन के दौरान पाया कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति की महिलाओं पर अत्याचार यौन उत्पीड़न, बलात्कार तथा शारीरिक शोषण संबंधी तमाम घटनाओं का चित्र सहित वर्णन प्रस्तुत किया।

अध्ययन का उद्देश्यः–

प्रस्तुत शोध प्रपत्र जबलपुर जिला कि दलित अनुसूचित जाति की महिलाओं पर केन्द्रित हैः–

1. सन् 2000 से 2010 तक पंजीबद्ध मामले और उनका निर्णय ज्ञात करना।
2. अत्याचार से पीड़ित दलित महिलाओं का आयु समूह ज्ञात करना।
3. अत्याचारों की अपराधबार स्थिति को जानना।
4. अत्याचारों से अधिकतम पीड़ित जाति की महिलाओं की पहचान करना।

अध्ययन विधि एवं अध्ययन क्षेत्रः–

प्रस्तुत शोध प्रपत्र द्वितीयक तथ्यों पर आधारित दलित अनुसूचित जाति की महिलाओं से संबंधित है, जिसमें जबलपुर अनुसूचित जाति कल्याण प्रकोष्ठ में पंजीबद्ध ग्यारह वर्षीय (2000 से 2010 तक) आँकड़ों को सम्मिलित किया गया है, प्रस्तुत शोध प्रपत्र जबलपुर जिला से संबंधित है।

तथ्यों का विश्लेषणः–

1. कुल पंजीबद्ध मामलों की तुलना में दोषी सिद्ध पाये गये मामलों का प्रतिशत 13ण्95ः है, जो बहुत ही कम है।
2. अत्याचारों से अधिकतम पीड़ितों का आयु समूह 12 से 18 के मध्य देखा गया।
3. साधारण अपराध की तुलना में गंभीर प्रकृति के अपराधों की संख्या अधिक पाई गई। जिनमें यौन संबंधी अपराध बलात्कार, सीलभंग है।
4. अत्याचार से सबसे अधिक पीड़ित जाति की महिलाओं में 'चमार' जाति की महिलायें है।

सारणी – 1 जबलपुर जिला से संबंधित

पीड़ित दलित महिलाओं (अनसूचित जाति) द्वारा पंजीबद्ध कराये गये मामलों का निर्णय।

क्रं.	सन्	दर्ज मामलें की संख्या	दोष सिद्ध	बरी	राजीनामा	विचारधीन
1.	2000	29	1	7	1	20
2.	2001	20	2	5	–	13
3.	2002	29	1	5	–	23
4.	2003	28	6	3	1	18
5.	2004	25	2	3	4	17
6.	2005	25	4	14	1	5
7.	2006	31	5	15	–	13
8.	2007	24	2	14	2	5
9.	2008	24	7	12	1	5
10.	2009	26	5	15	1	3
11.	2010	40	6	13	4	16
	कुल	**301**	**42**	**106**	**15**	**138**
	प्रतिशत	**100ः**	**13.96ः**	**35.22ः**	**4.98ः**	**45.85ः**

स्त्रोतः जबलपुर अनुसूचित जाति कल्याण प्रकोष्ठ में पंजीबद्ध रिर्पोट के अनुसार

सारणी क्र. 1 – सन् 2000 से 2010 तक अत्याचार से पीड़ित दलित महिलाओं के पंजीबद्ध मामलों की संख्या 301 रही। जिसमें 13.96 प्रतिशत मामलों में अपराधी दोषी पाये गये। 35.22 प्रतिशत व्यक्ति बरी हुए। 4.98 प्रतिशत मामलों में राजीनामा किया तथा 45.85 प्रतिशत मामले अभी भी विचाराधीन है। जो न्याय प्रणाली की शिथिलता को प्रदर्शित करते है।

सारणी – 2 अत्याचार से पीड़ित दलित महिलाओं का आयु समूह

0–6	6–12	12–18	18–24	24–30	30–36	36–42	42–48	48–54	54–60	कुल
2	13	104	47	71	33	15	7	5	5	301
0.67%	4.31%	34.55%	15.61%	23.58%	10.96%	4.98%	2.32%	1.66%	1.66%	100%

स्त्रोतः जबलपुर अनुसूचित जाति कल्याण प्रकोष्ठ में पंजीबद्ध रिपोर्ट के अनुसार

सारणी क्र. 2 – सन् 2000 से 2010 तक अत्याचार से पीड़ित दलित महिलाओं की आयु को प्रदर्शित करते है। जिसमें 12–18 आयु समूह की दलित महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों का प्रतिशत सर्वाधिक 34.55 प्रतिशत दिखाई देता है। दलित महिलाओं पर होने वाला अत्याचार 12 वर्ष से लेकर 36 वर्ष की महिलाओं के मामले में अधिक दिखाई देता है, जबकि 0 से 12 वर्ष की बच्चियां भी अत्याचार से पीड़ित हुई है। महिलाओं के प्रति होने वाले अत्याचारों में अधिकांशतः मामले बलात्कार, शीलभंग, अपहरण और यौन शोषण संबंधी होते है।

सारणी – 3

जबलपुर जिला से संबंधित अत्याचार की अपराधबार स्थिति

हत्या	हत्या प्रयास	मारपीट चोट जाति अपमान आगजनी अन्य	बलबा	बलात्कार	शीलभंग	अपहरण	कुल
5	6	60	4	105	111	9	301
1.67%	1.99%	19.94%	1.33%	34.88%	36.87%	2.99%	100%

स्त्रोतः जबलपुर अनुसूचित जाति कल्याण प्रकोष्ठ में दर्ज रिर्पोट के अनुसार

सारणी क्र. 3 – अत्याचार की अपराधवार स्थिति को प्रकट करती है। जिसमें दलित महिलाओं के प्रति होने वाले सभी प्रकार के अपराधों को सम्मिलित किया गया है। जिसमें हत्या, हत्या का प्रयास, मारपीट, चोट, जातिगत अपमान, बलवा, बलात्कार, शीलभंग, अपहरण जैसे अपराध सम्मिलित है। जिसमें बलात्कार 34.88 प्रतिशत, शीलभंग 36.97 प्रतिशत है। अधिकांश अत्याचार दलित महिलाओं के प्रति यौन संबंध पर आधारित है।

Global Journal of Multidisciplinary Studies Available online at www.gjms.co.in
Volume 2, Issue2, January 2014
ISSN: - 2348-0459

सारणी – 4 अत्याचार से पीड़ित दलित जाति की महिलाओं द्वारा पंजीबद्ध कराये गये मामले

क्रं.	सन्	चमार	झारिया	बसोर	कोरी	दाहिया	चड़ार	खटीक	बाल्मिक	महार	डुमार
1.	2000	11	6	3	1	2	–	–	–	3	1
2.	2001	8	2	2	1	2	2	–	–	–	3
3.	2002	13	1	4	2	1	2	3	–	1	–
4.	2003	14	2	–	3	4	2	–	–	–	–
5.	2004	15	3	1	1	3	–	–	1	–	1
6.	2005	14	–	3	1	1	–	–	1	–	1
7.	2006	18	2	4	5	1	–	–	–	–	1
8.	2007	11	3	1	1	2	3	–	1	1	1
9.	2008	8	5	4	–	2	2	–	–	1	1
10.	2009	8	4	3	1	1	2	1	1	2	1
11.	2010	15	6	1	2	–	1	1	–	1	2
	कुल	135	34	26	18	19	14	5	4	9	12

स्त्रोतः जबलपुर अनुसूचित जाति कल्याण प्रकोष्ठ में पंजीबद्ध रिपोर्ट के अनुसार

सारणी क्र. 4– अत्याचार से अधिकतम पीड़ित होने वाली 10 दलित (अनु. जाति) को सम्मिलित किया गया है। सारणी से ज्ञात होता है कि गैरदलितों द्वारा अत्याचार से पीड़ित होने वाली जाति में सर्वाधिक पीड़ित जाति 'चमार' है। जिसकी संख्या 135 है वही 10 वें क्रम में पीड़ित जाति 'डुमार' है इसके अलावा भी अत्याचार से पीड़ित होने वाली दलित वर्ग की अन्य जातियां है। जिनमें कम पीड़ित होने का कारण उनके वास्तविक जातिगत पहचान का न होना है।

निष्कर्षः–

अनुसूचित जाति की महिलाओं के विरूद्ध होने वाले अत्याचारों की संख्या पंजीबद्ध मामलों से कही अधिक है, पुलिस प्रशासन द्वारा सही कार्यवाही न करना, न्यायालय द्वारा उचित न्याय प्राप्त न होना गैर दलित जातियों के साधन एवं शक्ति सम्पन्न होने के कारण निम्नस्थिति की दलित महिलाओं द्वारा उत्पीड़न के उपरांत बहुत ही नगण्य मात्रा में रिर्पोट दर्ज कराई जाती है। तथा थाने में उनके मामलों में अधिकांशतः पक्षपात का व्यवहार होता है। अतः निष्कर्षतः वर्तमान समय में दलित महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों की संख्या में गिरावट नहीं आई है। अपितु यह दलित महिलाओं के प्रति होने वाले अत्याचार, अपहरण, शीलभंग, बलात्कार जैसे अपराधों की ओर तीव्रता से बढ़ती जा रही है।

संदर्भ ग्रंथ–सूची

1. रावत हरिकृष्ण 2008 : 'उच्चतर समाजशास्त्र विश्वकोष' रावत पब्लिकेशन, जयपुर, (पृ.स. 102)
2. अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण रिपोर्ट, 2004, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली।
3. अवस्थी, श्रीमति सुधा, 2003, महिलाओं के प्रति अत्याचार एवं मानवाअधिकार, अशोक लॉ हाउस, नई दिल्ली, पृ. सं. 3।
4. अहूजा, राम, 2000, सामाजिक समस्याएं, रावत पब्लिकेशन, जयपुर, पृ. सं. 238।
5. सिंह रामगोपाल, भारतीय दलित समस्याएँ एवं समाधान, मध्य प्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल, 1998 (पृ.स. 116, 129, 134)
6. अहूजा, राम, 2012, भारतीय सामाजिक व्यवस्था, रावत पब्लिकेशन, जयपुर, पृ. सं. 246।